भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2263
07/08/2026 को उत्तरार्थ

विषयः मध्य प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या किया जाना

2263. श्री विवेक के. तन्खाः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के वर्ष-वार कितने मामले सामने आए हैं;
(ख) ऐसे मामलों का जिला-वार पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;
(ग) केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अंतर्गत प्रभावित परिवारों को संवितरित की गई मुआवजा राशि का ब्यौरा क्या है; और
(घ) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें मुआवजे का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या (एडीएसआई) नामक अपने प्रकाशन में आत्महत्याओं से संबंधित सूचना संकलित करता है। वर्ष 2024 तक की रिपोर्ट एनसीआरबी की वेबसाइट (https://ncrb.gov.in) पर उपलब्ध है।

कृषि राज्य का विषय है। ऐसे मामलों में अनुग्रह अथवा राहत राज्य सरकारों द्वारा उनकी संबंधित नीति और नियमों के अनुसार प्रदान की जाती है।
